

कम्प्यूटर परिपत्र सं० 1516016

दिनांक 03/06/2015

पत्रसं०-ज्वा०कमि० (वि०अनु०शा०) मु०/ स०प०/15-16 / आन लाइन शापिंग/

576

/ वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उ०प्र०

(वि०अनु०शा०-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक 02 जून 2015

समस्त

जोनल एडीशनल कमिशनर,

वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

विषय:- आन लाइन शापिंग पर होने वाले वाणिज्य कर अपवंचन को रोकने के सम्बन्ध में

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्यालय के पत्र सं० 384 दि० 13-05-2015 (कम्प्यूटर परिपत्र सं० 1516009 दि० 13-05-2015) का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ऑन लाइन शापिंग / कोरियर सर्विस प्रोवाइडर कम्पनियों का व्यवसाय करने वाली कम्पनियों / संस्थाओं / व्यक्तियों को अभियान चलाकर चिन्हित करते हुए उनके अधिक से अधिक पंजीयन कराए जाने / निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप प्रपत्रों को रखे जाने एवं ऐसे सम्बन्धित व्यक्तियों से सूचनाएँ प्राप्त कर करापंचन पाये जाने पर आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पन्न कराए जाने के निर्देश दिये गये हैं।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया अपने स्तर से इसका अनुश्रवण करते हुए अपने जोन में की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रारूप में प्रत्येक माह की 05 तारीख तक नियमित रूप से मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें :-

ऑन लाइन शापिंग / कोरियर सर्विस प्रोवाइडर कम्पनियों को पंजीकृत कराए जाने (सर्विस प्रोवाइडर नम्बर (SPN))

संबन्धित मासिक विवरण पत्र

जोन का नाम-----

विवरण माह-----

क्र०सं०	आन लाइन/ कोरियर सर्विस प्रोवाइडर कं० की संख्या जिनके द्वारा आवेदन पत्र स्वतः प्रस्तुत किये गये	प्रस्तुत आवेदन पत्रों के आधार पर प्रदान किये गये पंजीयन की संख्या	अस्वीकार किये गये आवेदन पत्रों की संख्या	अस्वीकार किये जाने का संक्षिप्त कारण	ऐसी कं० की संख्या जिन्हें जांच के उपरान्त पंजीयन के बायरे में लाया गया	इनमें से जांच के बाद पंजीयन हेतु कितनी कं० द्वारा पंजीयन के लिये आवेदन किया गया	ऐसी कं० की संख्या जिन्हें जांच के बाद पंजीयन दिया गया	निस्तारण हेतु अवशेष आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(बी० राम शास्त्री)

एडीशनल कमिशनर, वाणिज्यकर,

उत्तर प्रदेश